न्यायालय जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर), भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2024 फोरलेन

उनवान

1 मैसर्स सांची उद्योग प्रा0लि0 पता–105, अम्बाजी टैक्सटाईल मार्केट, भीलवाड़ा जरिये निदेशक सुनिल पिता जगदीश चन्द्र जोशी निवासी भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा राजमार्ग सं0 79 छः लेन निर्माण/चौडाकरण जरिये परियोजना निदेशक भा0रा0रा0प्रा0 कार्यान्वयन 6–ए–1 आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध भूमि अवाप्ति प्रकरण सं0 306/2018 संशोधित अवार्ड दिनांक 05.03.2020

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी– श्री सुभाष चतुर्वेदी।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी–श्री मुकुट बिहारी दाधीच।

आदेश

दिनांक : 07-05-2024

1– न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 39/2020 निर्णय दिनांक 09.01.2024 के अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2020 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि–**"दिनांक 24.02.2018 से 08.04.2019 तक 12 प्रतिशत वार्षिक एवं दिनांक 08.04.2019 से निर्णय की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की पुनः गणना करते हुए अवार्ड राशि पर बिना टीडीएस काटे पुनः विधि अनुसार संशोधित आदेश पारित करें।"**

2– मा० न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भीलवाड़ा से मामला रिमाण्ड होकर प्राप्त होने से, प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2024 को पुनः दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया।

दिनांक 07.05.2024 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। चूंकि प्रकरण में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भीलवाड़ा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.012024 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि–"जो संशोधित अवार्ड जिला कलेक्टर (आर्बीट्रेटर), भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 17.02.2020 की अनुपालना में मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया है, वह सही है। इसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता। अतः प्रार्थी की यह आपत्ति कि जिला कलेक्टर (आर्बीट्रेटर), भीलवाड़ा के

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

द्वारा RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 की अनुपालना में उचित प्रतिकर पारित नहीं किया है, अस्वीकार की जाती है।" न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भीलवाड़ा द्वारा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 09.01.2024 में केवल टी०डी०एस० एवं ब्याज के संबंध में आदेश पारित कर दिनांक 24.02.2018 से 08.04.2019 तक 12 प्रतिशत वार्षिक एवं दिनांक 08.04.2019 से निर्णय की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की पुनः गणना करते हुए अवार्ड राशि पर बिना टीडीएस काटे पुनः विधि अनुसार संशोधित आदेश पारित करने हेतु निर्देश प्रदत्त किये गये है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस न्यायालय स्तर पर कोई निर्णय दिया जाना शेष नहीं है। अतएव मामला सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 39/2020 निर्णय दिनांक 09.01.2024 की पालना में दिनांक 24.02.2018 से 08.04.2019 तक 12 प्रतिशत वार्षिक एवं दिनांक 08.04.2019 से निर्णय की दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की पुनः गणना करते हुए अवार्ड राशि पर बिना टी0डी0एस0 काटे संशोधित अवार्ड जारी करें।

आदेश आज दिनांक 07-05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा